FORM No. 123

(Order 24 Rule 07/ Order 32 Rule 03)

न्यायालय – अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या–02, किशनगढ़, जिला अजमेर।

Date	Orders with initials of P.O. **घीसालाल बनाम मुनीसुब्रतनाथ दिगंबर जैन** **दीवानी मूल वाद संख्या – 54/2021(29/2010)** **सीआईएस संख्या – 516/2014**	Brief note of Compliance of Order
22.05.2025	वकुलाय उभय पक्षकारान उपस्थित। इस आदेश के द्वारा वादीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 65 ए, ई व एफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 दिनांकित 16.04.2025 का निस्तारण किया जा रहा है। उक्त प्रार्थना पत्र बाबत उभय पक्षकारान की बहस पूर्व में सुनी जा चुकी है। दौराने बहस अधिवक्ता वादीगण ने कथन किए कि वादी ने आदेश 7 नियम 14(3)सीपीसी के प्रार्थना पत्र के साथ दस्तावेज पेश किए जिन्हे न्यायालय द्वारा रिकोर्ड पर लिया गया। उक्त दस्तावेज की प्रमाणित प्रति न्यायालय एवं सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त की गई है। अतः उक्त दस्तावेजों को द्वितीय साक्ष्य के रूप में पेश किए जाने की अनुमति दिए जाने का निवेदन किया। यह भी कथन किया कि पट्टा विलेख दिनांक 15.10.2023 असवल प्रतिवादी संख्या 2/1 से 2/3 के कब्जे में होने का कथन करते हुए वादी ने पूर्व में आदेश 11 नियम 12 व 14 सीपीसी का प्रार्थना पत्र पेश किया था जिस पर प्रतिवादी संख्या 2/1 लगायत 2/3 ने उक्त दस्तावेज अपने कब्जे में नहीं होना बताया। नोटिस आदेश 12 नियम 8 सीपीसी के तहत भी दिया गया था। अतः ऐसी स्थिति में उक्त दस्तावेज का द्वितीय साक्ष्य के रूप में प्रमाणित प्रति पेश करने की अनुमति का निवेदन किया एवं अपने पक्ष समर्थन में निम्न न्यायिक–दृष्टांत पेश किए गए – 1 Arjunchandra Mehta Vs. Kailash Chandra S.B. Civil Writ Petition No. 814/2020 Raj. High Court. 2 CJ (Civ.) 2023 (1) Raj. Page 538 3 CJ (Civ.) 2024 (1) Raj. Page 81 उक्त प्रार्थना पत्र का प्रतिवादी संख्या 1 व 4 की ओर से लिखित में जवाब प्रस्तुत किया गया। दौराने बहस अधिवक्ता प्रतिवादीगण ने कथन किए कि वादी द्वारा जो दस्तावेज रिकोर्ड पर लिए जाने का निवेदन किया गया है उक्त दस्तावेज प्रकरण में किसी प्रकार से सुसंगत नहीं है, अनावश्यक पेश किए गए है। असल दस्तावेज के प्रभाव में रहते हुए प्रमाणित प्रति को द्वितीय साक्ष्य के रूप में अनुमति नहीं दी जा सकती। क्रमांक संख्या 1 लगायत 13 की असल प्रति संबंधित न्यायालय से जरिये पत्रावली तलब करवाई जा सकती है। दस्तावेज क्रमांक 14 लगायत 17 प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत किए गए है। प्रस्तुत निर्णय एवं आदेश मामला हाजा में निहित विवाद से संबंधित नहीं है। असल दस्तावेजों के प्रभाव में होने से प्रमाणित प्रति की अनुमति प्रदान नहीं की जा सकती। अतः प्रार्थना पत्र खारिज किए जाने का निवेदन किया। उभय पक्षकारान को सुना गया। पत्रावली, संबंधित विधि का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रस्तुत न्यायिक–दृष्टांतो का ससम्मान अवलोकन कर मार्गदर्शन प्राप्त किया गया। वादीगण द्वारा जरिये प्रार्थना पत्र प्रार्थना पत्र के पद संख्या 7 में वर्णित दस्तावेज संख्या 4 लगायत 13 एफआइआर, निगरानी, रिवीजन, वाद में प्रस्तुत जवाब दावा, साक्ष्य शपथ पत्र, एफआर, रिवीजन, निर्णय आदेश की प्रमाणित प्रति है। अतः उक्त दस्तावेज द्वितीय साक्ष्य के रूप में ग्राह्य है। अन्य दस्तावेज परिवार का सजरा, पट्टा दिनांक 15.10.1923, पट्टा हिन्दी अनुवाद होना बताया है जिसमें परिवार का सजरा व	

	पट्टा प्रमाणित प्रति है। पट्टे का हिन्दी अनुवाद प्रस्तुत किया गया है। वादी अधिवक्ता ने दौराने बहस उक्त दस्तावेज प्रतिवादी से तलब करवाने पर उसके कब्जे में नहीं होने का शपथ पत्र पेश करना जाहिर किया है। शपथ पत्र पत्रावली में सलंग्न है। अतः पट्टा विलेख भी प्रमाणित प्रति है जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाणित प्रति है। जो असल दस्तावेज पट्टा प्रतिवादी से तलब करवाने पर थी पेश नहीं किया गया है। अतः उक्त दस्तावेज की प्रमाणित प्रति को द्वितीय साक्ष्य के रूप में पेश करने की अनुमति प्रदान किया जाना न्यायोचित है। दस्तावेज प्रदर्श 14, 15, 16 व 17 पंजीयन कार्यालय से प्राप्त प्रमाणित प्रति है जो निजी दस्तावेजों के लोक अभिलेख है। अतः उक्त दस्तावेज का भी द्वितीय साक्ष्य ग्राह्य है। अतः ऐसी दशा में उक्त दस्तावेज न्यायालय के आदेश, निर्णय की प्रमाणित प्रति है एवं सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाणित प्रति होने से एवं दस्तावेज पट्टा दिनांक 15.10.1923, हक–त्याग दिनांक 22.12.2004, विक्रय पत्र दिनांक 03.08.2005, विक्रय पत्र दिनांक 10.11.2005, विक्रय पत्र दिनांक 10.11.2005 निजी दस्तावेजों के लोक अभिलेख होकर लोक दस्तावेज की श्रेणी में आते है। उनकी प्रमाणित प्रति जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी की गई है द्वितीय साक्ष्य के रूप में ग्राह्य है। अतः उक्त प्रमाणित प्रति दस्तावेजों को द्वितीय साक्ष्य के रूप में प्रदर्शित करवाने की अनुमति दिया जाना उचित है। अतः वादी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थना पत्र में वर्णित दस्तावेजों को द्वितीय साक्ष्य के रूप में प्रदर्शित किए जाने की अनुमति प्रदान की जाती है। पत्रावली वास्ते ..... दिनांक ..... को पेश हो। **(शालिनी शर्मा)** **अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश** **संख्या–02, किशनगढ़, जिला अजमेर।**	